विजय कुमार, आई०पी०एस०



डीजी परिपत्र सं0 -26 /2023

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश। पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

दिनांकः अगस्त 4,2023

विषयः क्रिमिनल मिस बेल अप्लीकेशन सं0-39643/2021 शिवा उर्फ शिव कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.07.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

अपराधों की गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी विवेचना सुनिश्चित करने के मार्गदर्शन सिद्धान्त इस

हीजी परिपत्र सं0-21/2023 दि0-15.06.2023 हीजी परिपत्र सं0-40/2021 दि0-20.10.2021 हीजी परिपत्र सं0-36/2021 दि0-23.09.2021 हीजी परिपत्र सं0-28/2021 दि0-19.08.2021 हीजी परिपत्र सं0-24/2020 दि0-28.07.2020 हीजी परिपत्र सं0-53/2019 दि0-19.12.2019 हीजी परिपत्र सं0-01/2019 दि0-22.01.2019 हीजी परिपत्र सं0-06/2018 दि0-19.02.2018 मुख्यालय द्वारा वर्ष-2021 में जारी विवेचना हस्तपुस्तिका एवं पार्श्वांकित बॉक्स में अंकित डीजी परिपत्रों के माध्यम से निर्गत किये गये हैं, जिनमें विस्तृत रूप से यह अंकित किया गया है कि विभिन्न प्रकृति के अपराधों की विवेचना किस प्रकार सम्पादित की जायेगी और विवेचना के दौरान किन सावधानियों और बारीकियों को ध्यान में रखा जायेगा। इस

मुख्यालय स्तर से विवेचना की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु लगातार निर्देश निर्गत किये जाने के वाद भी गम्भीर अपराधों की विवेचना में लापरवाही के प्रकरण लगातार संज्ञान में आये हैं।

क्रिमिनल मिस बेल अप्लीकेशन सं0-39643/2021 शिवा उर्फ शिव कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2023 को सुनवाई के दौरान विवेचक द्वारा आरोप पत्र के साथ सीसीटीवी फुटेज संलग्न न करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये अधोहस्ताक्षरी को निम्नवत कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं—

" The learned trial court shall also disclose the fact whether the CCTV footage showing the deceased accompanying the applicant at the time proximate to the death of the latter was introduced as prosecution evidence along with forensic science laboratory report.

The Commissioner of Police, Agra shall also file an affidavit in this regard.

In case such evidence is not produced the police authorities shall take appropriate action in accordance with law against the investigating officer without being influenced by the observations made in the order.

This Court notices that in a number of cases electronic and video evidences are not induces by the prosecution as per law. This inadequacy in investigation is effecting the prosecution case on a large scale.

The Director General of Police, Government of U.P. Lucknow to ensure that appropriate directions are issued to the police authorities as well as training models are organised for the same to ensure that such faults do not reoccur in investigation."

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में टिप्पणी की गयी है कि कई मामलों में अभियोजन पक्ष द्वारा इलेक्ट्रानिक और वीडियो साक्ष्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। मा0 न्यायालय द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि विवेचना के दौरान की गयी किमयों से वाद का अभियोजन बड़े पैमाने पर विपरीत रूप से प्रभावित होता है। मा0 उच्च न्यायालय ने विवेचकों को विवेचना की बारीकियों एवं निर्धारित प्रक्रिया से अवगत कराने और उनका उपयोग विवेचना के दौरान किये जाने हेतु विवेचकों के प्रशिक्षण का आयोजन किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने किमश्ररेट/जनपद के विवेचकों को विवेचना की बारीकियों से परिचित कराने हेतु नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए, जिसमें विधि विशेषज्ञों, साइवर क्राइम/कम्प्यूटर विशेषज्ञों, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाये, जो कार्यशाला के दौरान विवेचकों की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान एवं शंकाओं का निराकरण कर सकें।

भवदीय,

(विजय कुमार)

- 1.समस्त पुलिस आयुक्त, उ०प्र०।
- 2.समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद/रेलवे, उ०प्र० । प्रतिलिपिः
 - 1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० ।
 - 2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० ।
 - 3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
 - 4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहित्तिरीक्षक, उ०प्र० ।